नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''

महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

महाराणा प्रताप महाविद्यालय, गोरखपुर
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
स्थापित 2005 ई.

मो. 7897475917, 9794299451
Website : www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक .... दिनांक–11.08.2025

छात्रसंघ चुनाव 2025–26

चुनाव प्रक्रिया – चुनाव प्रक्रिया दो दिनों (29 व 30 अगस्त, 2025) में पूर्ण होगी।

कक्षा प्रतिनिधि चुनाव – 29 अगस्त, 2025 को सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्रसंघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे। कक्षा में एक से अधिक छात्र होने पर ही कक्षा प्रतिनिधि चुनें जायेंगे। कक्षा प्रतिनिधि चुनाव हेतु 15 (पन्द्रह) बहुविकल्पी प्रश्न दिये जायेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंक का होगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि घोषित किया जायेगा।

पर्चा दाखिला – 29 अगस्त, 2025 को सायं 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक के साथ अपनी प्रत्याशिता निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशिता प्रारूप कार्यालय से प्राप्त होगा तथा वहीं पर जमा होगा, जिसके लिए परिचय पत्र/फीस रसीद, फोटोग्राफ होना आवश्यक है।

पर्चा की जाँच व नामांकन वापसी – 30 अगस्त, 2025 प्रातः 09.00 बजे से 10.30 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। प्रातः 10.30 से 11.00 बजे तक पत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जाँच होगी तथा वैध प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जायेगी।

योग्यता भाषण – सभी प्रत्याशियों को अपनी बात रखते हुए अधिकतम 05 मिनट का एक विडियो क्लिप 30 अगस्त, 2025 को अपराह्न 01.00 बजे तक चुनाव अधिकारी के पास उपलब्ध कराना होगा, जिसे सभी कक्षा व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए यही एकमात्र माध्यम होगा।

ऑनलाइन मतदान – 30 अगस्त, 2025 को सायं 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक ऑनलाइन मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है।

चुनाव परिणाम – 30 अगस्त, 2025 को रात्रि 09.00 बजे तक महाविद्यालय की वेबसाइट mpm.ac.in पर चुनाव परिणाम जारी होगा।

चुनाव आचार संहिता – छात्रसंघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी गई है। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे–

(क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर, पर्चा, दीवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा।

(ख) कक्षाओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।

(ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

(घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।

(ड़) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

डॉ0 शिवकुमार बर्नवाल
(छात्रसंघ चुनाव अधिकारी)